NEXT
NEWS EXCELLENT TODAY

newsexcellenttoday.com | 21 दिसंबर 2024, शनिवार | मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष सप्तमी - 2081

E- Paper NEXT 0010

श्रेष्ठ सुप्रभात

जो व्यक्ति अपने आवेगों और संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है वह आत्मानुशासी बन जाता है।

-आचार्य महाश्रमण

तापमान (डिग्री सेल्सियस)

	अधिकतम	न्यूनतम
श्री डूंगरगढ़	22.0	5.0
बीकानेर	22.0	4.0
जयपुर	23.0	8.0

आज के कार्यक्रम

सुशासन सप्ताह आज

NEXTI आज सुशासन सप्ताह का आयोजन पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ और लूनकरणसर में आयोजित होगा।

भागवत कथा श्रीडूंगरगढ़ में

NEXTI कालूबास स्थित नेहरू पार्क में दोपहर 1बजे से शाम 5बजे तक भागवत कथा आयोजित होगी।

श्रीराम कथा का आयोजन

NEXTI लखासर-दुलचासर सड़क मार्ग पर स्थित बाबा रामदेव गौशाला में चल रही है।

आज ही NEXT की साइट का विजिट करें और जुड़ें रहिए NEXT से...

भूमाफियों के खिलाफ सख्ती के मूड में पालिका, जारी किए नोटिस

NEXTI श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका की सैकड़ों बीघा भूमि पर भूमाफिया काबिज है और आपसी शह के कारण उन पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही आमजन को देखने के लिए नहीं मिली है। परन्तु अब कुछ कार्यवाही पालिका की ओर से भूमाफियों के खिलाफ होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गत 18दिसम्बर को पालिका की ओर से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है जिसमें राजस्व विभाग से नगरपालिका को हस्तांतरित सैंकड़ों बीघा भूमि पर काबिज भूमाफियों को अवैध कब्जों और अवैध निर्माण को हटाने की चेतावनी दी गई है। जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार खसरा नम्बर 1187, 1209/927, 283, 596, 599, 711, 901, 926, 942, 1047, 1051, 1067, 1076 पर भूमाफिया काबिज है। इन सभी को पालिका ने 3दिनों में हटाने की चेतावनी दी है। पालिका अधिशासी अधिकारी अविनाश शर्मा ने बताया कि अगर भूमाफियों द्वारा 3दिनों में पालिका की भूमि से कब्जों को नहीं हटाया जाता है तो पालिका द्वारा उन सभी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 203 के अंतर्गत हटाया जाएगा। और भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राजधानी जयपुर में भीषण हादसा

40 गाड़ियों में आग लगी, 11 लोगों की मौत, 33 गंभीर घायल

NEXTI राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह 6बजे से पहले एक भीषण हादसा हुआ जिसके कारण 40गाड़ियां जल उठी और 11लोगों की मौत हो गई।जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर एक केमिकल से भरा टैंकर जैसे ही भांकरोटा इलाके में स्थित एक स्कूल के सामने पहुंचा तभी उसमें भीषण ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाके के बाद वहां आग लग गई, जिसकी चपेट में हाइवे किनारे पाइप की फैक्ट्री आ गई और आग से वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इसकी चपेट में हाइवे से गुजर रहे 40 वाहन आ गए और उनमें आग लग गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ब्लास्ट की जानकारी पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। घटना के बाद हाइवे को

दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। मौके पर डीएम व एसपी मौजूद हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि टैंकर के साथ एक ट्रक की टक्कर हो गई थी जिसके कारण यह हादसा हुआ। ब्लास्ट के बाद हाइवे पर एक के बाद एक कई वाहनों के आपस में टकराने और केमिकल के कारण आग लग गई।

लखासर- दुलचासर मार्ग पर गौशाला में श्रीराम कथा का आयोजन

NEXTI लखासर-दुलचासर सड़क मार्ग पर स्थित बाबा रामदेव गौशाला में चल रहे संगीतमय श्रीराम कथा के पांचवें दिन शुक्रवार को सीता राम विवाह के प्रसंग का वाचन हुआ। कथावाचक बाल संत शंकर दास महाराज ने सीता स्वयंवर और प्रभु श्री राम के धनुष उठाने वाले दृश्य का जीवंत वर्णन कर सभी को भाव विभोर कर दिया। बाल संत शंकर दास महाराज ने कहा कि पूजा में भाव की महत्ता होती है, प्रभु भक्त के भाव को देखते हैं। यदि हम राम को पाना चाहते हैं तो वे हमें अनुराग से प्राप्त होंगे। प्रभु की छवि को ही मन में बसाना होगा। एक बार छवि मन में बस गई तो राम सब जगह दिखेंगे। कथा में

शुक्रवार को गौ सेवा संघ के प्रदेश सदस्य दलित दाधीच, राजलदेसर गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगतमल पांडे, तुलसी गौशाला बीकानेर के अनूप गहलोत, कितासर गौशाला के मघाराम सुथार, परमार्थ गोशाला श्रीडूंगरगढ़ के सीताराम जोशी, गोपाल गौशाला के संयोजक ताराचंद इंदौरिया पधारे।

भागवत कथा के पंचम दिवस

कथाएं पौराणिक परन्तु अध्यात्म से आप्लावित करने वाली

NEXTI कालूबास के नेहरू पार्क में आयोज्य श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस महात्मा शिवेन्द्र महाराज ने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण की मनोहारी बाल लीलाओं का सरस वर्णन किया। उन्होंने कथा के प्रारम्भ में कहा कि जीव अगर भक्ति से ओतप्रोत होकर विचारों का मंथन करे तो उसे राम नाम की मणि प्राप्त होती है। वह श्रेष्ठ श्रोता होकर आत्म अनुसंधान करे।

हमारी पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक हैं, कथाओं में वर्णित प्रतीकों को अर्थ सहित जान लेने से हमारी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होती है।

कृष्ण लीला में कंस अहंकार का प्रतीक है, नंद बाबा जीव के तथा यशोदा मैया बुध्दि की प्रतीक है। अहंकारी व्यक्ति के मन में सदैव मृत्यु भय छाया रहता है। आज की कथा में गोवर्धन पूजा और छप्पन भोग तक की लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा का सरस संयोजन डॉ. चेतन स्वामी ने किया।

साइबर जागरूकता एपिसोड- 04 ई- ट्रेडिंग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

बढ़ते साइबर अपराधों की धमक बड़े शहरों से दूरदराज स्थित छोटे- छोटे गांवों के बाशिंदों को भी अपना शिकार बनाने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें।

NEXT आमजन को होने वाले साइबर अपराधों से बचाने के लिए एक एपिसोड निरन्तर चला रहा है। इसी कड़ी में आज हम ई-ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे।

ई-ट्रेडिंग क्या है?

इसमें साइबर अपराधी आमजन को ऑनलाइन ट्रेडिंग करने, शेयर खरीदने, एपीओ खरीदने का झांसा देते हैं। इसके

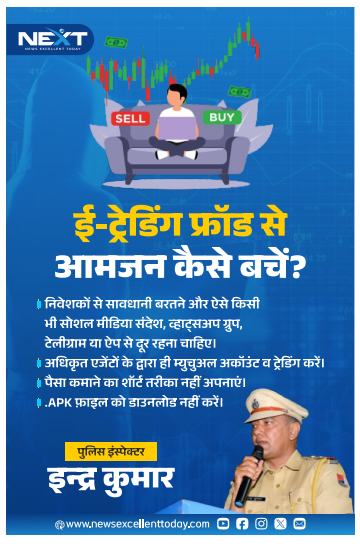

लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं।

अपराध को अंजाम कैसे देते हैं?

साइबर अपराधी व्हाट्सअप, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ लाइव प्रसारण का भी इस्तेमाल करते हैं। सेबी पंजीकृत एफपीआई के कर्मचारी या सहयोगी बनकर लोगों को ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें शेयर खरीदने, आईपीओ में सदस्यता लेने के लिए अनुमति देते हैं।

साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए झूठे नामों से पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करते हैं।

महिला अत्याचार के सम्बंध में उपचार के बारे में विशेष आलेख

भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 85 : महिला के ससुराल पक्ष के व्यक्ति महिला के साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार करते हैं तथा उस महिला को नाजायज रुप से तंग और परेशान करते हैं तो इस संबंध में पीड़ित महिला दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध थाना में एफआईआर दर्ज करवा सकती है। भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 85 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों को 3वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है।

धारा 74 से 78 : अगर कोई पुरूष किसी महिला के साथ अश्लील हरकत करता है, उसकी मान मर्यादा भंग करता है या करने का प्रयास करता है या गलत इशारा करता है या गलत इरादे से महिला का पीछा करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 74 से 78 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। न्यायालय दोषी व्यक्ति को 3वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित कर सकता है।

धारा 64 से 71 : अगर कोई भी व्यक्ति या पीड़ित महिला का रिश्तेदार या अभिभावक या भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है तो धारा 64 से 71 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

धारा 144 : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता है महिला धारा 144 के तहत पति के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। न्यायालय उस पर संज्ञान लेने के बाद महिला को भरण पोषण दिलवा सकता है। पति द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर उसे जेल भी भेजा जा सकता है।

धारा 9 हिन्दू मैरिज एक्ट : दाम्पत्य जीवन का पुनः निर्वाह करने के लिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी का परित्याग करके रखा है। और वह पति अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर रहा है तो वह महिला उस पुरूष के विरुद्ध याचिका न्यायालय में दे सकती है। न्यायालय द्वारा उस पति को पत्नी के साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

धारा 13 हिन्दू मैरिज एक्ट : अगर किसी महिला के साथ उसके पति के द्वारा अत्याचार किया जाता है तो वह महिला विवाह विच्छेद (तलाक) की याचिका सक्षम न्यायालय में पेश कर सकती है और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय तलाक की डिक्री भी पारित कर सकता है।

तलाक की याचिका के लम्बित रहने के दौरान पत्नी को धारा 24 हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भरण पोषण व खर्चों की अदायगी का आदेश भी जारी कर सकता है।

श्रीडूंगरगढ़ पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में शराब जब्त

NEXTI श्रीडूंगरगढ़ के गांव कुंतासर में पुलिस द्वारा कालुराम पुत्र भंवराराम जाट के घर के पिछवाड़े से 14 कार्टूनों में 168 बोतल बीयर की एवं 9 कार्टुनों में 432 पव्वे देशी शराब के जब्त किए है। शराब का बाजार मूल्य 1लाख रुपये से अधिक बताया जा रहा है। टीम में एसआई मलकियत सिंह और हेड कॉन्स्टेबल हरिराम मीणा की विशेष भूमिका रही।